



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय / MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग / DEPARTMENT OF REVENUE  
कार्यालय आयुक्त / OFFICE OF THE COMMISSIONER  
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय / CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX COMMISSIONERATE  
142-बी हिरण मगरी सेक्टर -11, उदयपुर (राजस्थान)/ 142-B, HIRAN MAGRI, SECTOR-11, UDAIPUR(RAJ.)  
दूरभाष सं./Tele.No. 0294-2690000 व फैक्स नं./Fax.No. 0294-2483648

स्थापना आदेश संख्या : 05 / 2019

दिनांक: 28.06.2019

मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन) जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 25 / 2019 दिनांक 07.06.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किये गये स्थापना आदेश संख्या 30 / 2019 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा इस आयुक्तालय को आवंटित निम्नलिखित अधीक्षकों के पुनः स्थानान्तरण एवं पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किए जाते हैं:-

S. NO.	NAME OF THE SUPD.T. S./SH.	FROM	To
01	B. L. JHALAWAT	UOP TO GST JODHPUR	Vigilance & Confidential Section additional charge of Land & Building, CGST Hqrs. Udaipur
02	LAXMAN KUMAR	UOP TO GST JODHPUR	CGST Div-I, Kota
03	MANMOHAN LAL MEENA	CUSTOMS JAIPUR	CGST Div-D, Kankroli
04	P. L. DENDOR	UOP TO APPEALS JODHPUR	Anti Evasion Branch CGST Hqrs. Udaipur
05	G. L. MANGAL	UOP TO CGST DIV.-G, CHITTORGARH	CGST Div-F, Bhilwara
06	MUKESH KUMAR YADAV	UOP TO HQRS. UDAIPUR	CGST Div-G, Chittorgarh
07	MUKESH KUMAR MAMODIA	ADJUDICATION BRANCH HQRS. UDAIPUR	CGST Div-C, Udaipur

यह आदेश आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे है।

नोट:-

1. इस आदेश के जारी होने की तिथि तक प्राप्त समस्त स्थानान्तरण पत्रों (Representation) पर विचार कर निस्तारण कर लिया गया है।
2. क्र. सं 1 व 4 पर दर्शित अधिकारी को टी.टी.ए. एवं Joining Time देय नहीं होगा क्योंकि उनका स्थानान्तरण स्वयं की इच्छा पर किया गया है।
3. इस आदेश के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों (Representation) पर अधिकारियों द्वारा उनके नये पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात की विचार किया जायेगा।
4. उपरोक्त सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जाते है वे विधिवत् रूप से अपने चार्ज का Handing Over & Taken Over करने के पश्चात् ही कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करें।
5. उपरोक्त सभी अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से कार्यभार मुक्त किया जाये ताकि वे शीघ्र अपना कार्यभार ग्रहण कर लें।
6. केन्द्रीय माल एवं सेवा कर संभाग कार्यालयों में पदस्थापित किये गये अधीक्षकों की विस्तृत पदस्थापना संभाग कार्यालयों के सहायक आयुक्त अपने संभाग कार्यालय के नियन्त्रण अधिकारी संयुक्त/ अपर आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी करें।

(आर. एन. परमार)  
सहायक आयुक्त (का.एवं सत.)

500

28

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर/अलवर, अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, जयपुर एवं अपील्स, जयपुर/जोधपुर।
3. सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी. संभाग-ए-बी-सी, उदयपुर, /डी-कांकरोली/ई-एफ भीलवाड़ा/ जी- चित्तौड़गढ़/एच-आई कोटा को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधिनस्थ अधीक्षकों की अग्रिम पदस्थापना दिनांक ..... तक करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, उदयपुर
5. अधीक्षक (सतकर्ता) सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, उदयपुर।
6. निजी सहायक आयुक्त सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, उदयपुर।
7. निजी प्रति/सेवा पुस्तिका/गार्ड फाइल
8. अधीक्षक(कम्प्यूटर) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर (for uploading the order on departmental website)
9. नोटिस बोर्ड।

सहायक आयुक्त (का.व सत.)

28.6.19